



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 341 राँची, बुधवार, 10 आषाढ़, 1948 (श०)
1 जुलाई, 2026 (ई०)

**अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग।**

संकल्प

5 मार्च, 2021

विषय:- झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण के संबंध में।

साईकिल वितरण योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष **2002-03** में हुआ था । इसके तहत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग **8** में नामांकित एवं अध्ययनरत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का ड्रॉप आउट रोकने एवं अग्रतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क साईकिल वितरण की योजना आरम्भ हुई ।

वित्तीय वर्ष **2003-04** से वर्ग-8 की पिछड़ी जाति की छात्राओं को भी साईकिल वितरण योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया । वित्तीय वर्ष **2005-06** में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्राओं के साथ वर्ग-8 की अल्पसंख्यक छात्राओं को भी साईकिल वितरण योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया । वित्तीय वर्ष **2009-10** में वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले छात्राओं के अलावा छात्रों को भी निःशुल्क साईकिल वितरण की योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया । वित्तीय वर्ष **2014-15** से विभागीय संकल्प संख्या-**2208**, दिनांक-**15.09.2014** द्वारा राज्य के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की तरह गरीबी रेखा से उपर के छात्राओं एवं छात्रों को भी निःशुल्क साईकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जिनकी वर्ग-8 में उपस्थिति कम से कम **80%** निश्चित रूप से हो । वित्तीय वर्ष **2015-16** में विभागीय संकल्प संख्या-**969**, दिनांक-**08.04.2015** द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग-8 में नामांकित एवं अध्ययनरत् गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा से उपर सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल योजना अंतर्गत साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्र /छात्रा को **3000.00** रु खाते में **DBT** के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया । वित्तीय वर्ष **2018-19** में विभागीय संकल्प संख्या-**3091**, दिनांक-**27.08.2018** द्वारा वर्ग-8 में नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए साईकिल योजनान्तर्गत देय राशि में रु **500.00** बढ़ोतरी करते हुए रु **3500.00** राशि लाभुक छात्र/छात्राओं के खाते में **Aadhar Enabled DBT** के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया ।

2. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों एवं छात्राओं को निविदा द्वारा साईकिल का क्रय अधिकतम रु.**4500.00** के दर से करते हुए निःशुल्क साईकिल वितरण किया जाएगा।

3. साईकिल वितरण योजना के लाभुक छात्र-छात्रा की अर्हता:-

3.1 झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग-8 में अध्ययनरत हो ।

3.2 छात्र अथवा छात्रा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय का हो।

- 3.3** आवेदक द्वारा स्वयं का आवेदन-पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-सह-घोषणा पत्र दिया जायेगा ।
- 3.4** अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के लाभुक छात्र/छात्रा को अपने आवेदन के साथ सक्षम स्तर से ऑनलाईन निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभुक छात्र को उक्त समुदाय का होने संबंधी स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा।
- 3.5** लाभुक छात्र/छात्रा को आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 4.** यदि किसी छात्र या छात्रा को राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के अन्तर्गत साईकिल उपलब्ध करायी गई है, उस स्थिति में इस विभाग की योजना से उक्त छात्र अथवा छात्रा को साईकिल नहीं दी जाएगी ।

5. लाभुक छात्र-छात्रा के चयन की प्रक्रिया:-

- 5.1 विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व:-**संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक योग्य छात्र अथवा छात्रा के आवेदन एवं उपर्युक्त कंडिका-3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 तथा कंडिका-4 के अनुरूप जांच कर आवेदन को सत्यापित करेंगे तथा योग्य छात्र एवं छात्राओं की सूची तैयार कर उस पर कंडिका-3 एवं 4 विषयक प्रमाण पत्र अंकित करते हुए सूची को प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- 5.2** प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों से प्राप्त सूची को अपने स्तर से एक सप्ताह के अन्दर जांच एवं सत्यापित कर प्रखण्ड स्तरीय सूची अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ।
- 5.3** प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी प्रखण्ड स्तरीय सूची जो प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की गई है, को “प्रखण्ड स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति” के समक्ष विचारार्थ रखेंगे।

5.4 प्रखण्ड स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति निम्नवत् होगी-

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| (i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | -अध्यक्ष |
| (ii) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | -सदस्य |
| (iii) प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी | -सदस्य |
| (iv) कल्याण पर्यवेक्षक | -सदस्य सचिव |

- 5.5** प्रखण्ड स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति प्रखण्ड स्तरीय योग्य छात्र/छात्राओं की सूची की समीक्षा करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय स्तर पर तथा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्तर पर विभागीय संकल्प का अनुपालन सुनिश्चित

किया गया है। समिति अपनी अनुशंसा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित करेगी।

5.6 जिला कल्याण पदाधिकारी अपने जिला के सभी प्रखण्डों से प्राप्त सूची को संकलित करते हुए अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु "जिला स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति" के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5.7 जिला स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति निम्नवत् होगी-

(i)	उपायुक्त	-अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	-सदस्य
(iii)	परियोजना निदेशक, ITDA	-सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	-सदस्य
(v)	जिला शिक्षा अधीक्षक	-सदस्य
(vi)	जिला कल्याण पदाधिकारी	-सदस्य सचिव

5.8 जिला स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति विभागीय संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप जिला स्तरीय सूची की समीक्षा करेगी तथा सूची को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगी।

5.9 जिला स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति से स्वीकृत सूची के अनुरूप प्रखण्ड/विद्यालय स्तर पर साईकिल का वितरण संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

6. साईकिल वितरण की प्रक्रिया:-

6.1 आदिवासी कल्याण आयुक्त साईकिल क्रय, वितरण एवं भुगतान के सक्षम प्राधिकार होंगे।

6.2 साईकिल क्रय के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त निविदा आमंत्रित कर क्रय करने की कार्रवाई करेंगे।

6.3 वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से क्रय की कार्रवाई की जाएगी।

6.4 साईकिल क्रय के क्रम में चयनित साईकिल की गुणवत्ता एवं आपूर्ति की जा रही साईकिल की गुणवत्ता निविदा में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, इसकी सम्यक जाँच सुनिश्चित करके ही आपूर्ति ली जाएगी।

- 6.5** निविदा द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उपायुक्त से स्वीकृत सूची को उपलब्ध कराएंगे।
- 6.6** आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय द्वारा चयनित आपूर्तिकर्ता संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त सूची के अनुरूप संबंधित प्रखण्ड/विद्यालयों को साईकिल उपलब्ध कराएंगे।
- 6.7** साईकिल आपूर्ति के पश्चात् उसके अगले **15** दिनों के अन्दर इसका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा । इसमें किसी तरह के विलम्ब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
- 6.8** छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण कराने के पश्चात् राशि का भुगतान किया जाएगा ।
- 6.9** विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपूर्तिकर्ता से प्राप्त साईकिल की प्रविष्टि भण्डार पंजी में करते हुए प्राप्ति रसीद संबंधित आपूर्तिकर्ता एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे
- 6.10** प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी सभी आच्छादित विद्यालयों से प्राप्त प्राप्ति रसीद को जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे । जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त प्राप्ति रसीदों को आदिवासी कल्याण आयुक्त को भेजेंगे।
- 7.** जिला कल्याण पदाधिकारी साईकिल वितरण संबंधी प्रखण्डवार प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपायुक्त के माध्यम से आदिवासी कल्याण आयुक्त को उपलब्ध कराएंगे।
- 8.** साईकिल वितरण में किसी प्रकार की शिकायत या अन्य विषय पर अनुश्रवण के लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय साईकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति सक्षम प्राधिकार होगी।
- 9. वार्षिक साईकिल वितरण एवं उपयोग सत्यापन:-**
- 9.1** प्रत्येक वर्ष साईकिल वितरण की योजना पूर्ण होने के उपरान्त सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया जाएगा।
- 9.2** साईकिल वितरण के पश्चात् उसके अगले वर्ष वर्ग-8 के छात्र/छात्राओं में कितने छात्र/छात्रा वर्ग-9 में नामांकन कराते हैं, इसका आकलन किया जाएगा ताकि इस योजना की उपयोगिता एवं उपादेयता का आकलन किया जा सके।
- 9.3** जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से आच्छादित छात्र-छात्राओं द्वारा साईकिल के उपयोग एवं उससे आए गुणात्मक परिवर्तन पर सर्वे एवं सामाजिक अंकेक्षण कराते हुए प्रखण्डों से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त को प्रेषित करेंगे ।

- 9.4** उपर्युक्त कंडिका-9.1, 9.2 एवं 9.3 के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त एक प्रपत्र सभी जिलों को उपलब्ध कराएंगे ताकि प्रतिवेदन के मानकों में समरूपता रह सके ।
- 10.** वित्तीय वर्ष **2020-21** में साईकिल के वितरण हेतु क्रय की प्रक्रिया एवं वितरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के स्थिति में, वित्तीय वर्ष **2020-21** में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा-8 में अध्ययनरत् योग्य छात्र/छात्राओं की सूची का वित्तीय वर्ष **2021-22** में कक्षा-9 के नामांकन के अनुरूप पुनःविहित प्रक्रिया में अनुमोदित करते हुए साईकिल वितरित की जाएगी । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष **2021-22** में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के योग्य छात्र/छात्राओं को विहित प्रक्रिया के अनुरूप साईकिल वितरण योजना अन्तर्गत आच्छादित किया जाएगा।
- 11.** वित्तीय वर्ष **2020-21** में प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन में लगभग **122.00** करोड़ राशि का व्यय होगा जो निम्न बजटीय शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा-
- 11.1** मांग संख्या-51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-13-साईकिल योजना-विस्तृत योजना-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-51S222501789130649
- 11.2** मांग संख्या-51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष - 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - लघुशीर्ष - 277 - शिक्षा - उपशीर्ष - 13 - साईकिल योजना - विस्तृत योजना - 06 - अनुदान - 49 - आर्थिक सहायता, विपत्र कोड- 51S222502277130649
- 11.3** मांग संख्या-51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -उपशीर्ष-13-साईकिल योजना-विस्तृत योजना- 06- अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-51S222502796130649
- 11.4** मांग संख्या-30-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य-लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-02-साईकिल योजना-विस्तृत योजना-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-30S422580796020649

- 11.5** मांग संख्या-**30**-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-**4225**- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-**80**- सामान्य-लघु शीर्ष-**277**-शिक्षा -उप शीर्ष-**02**-साईकिल योजना-विस्तृत योजना-**06**-अनुदान-**49**-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-**30S422580277020649**
- 11.6** मांग संख्या-**51**-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-**2225**- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-**03**- पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष - **796** - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष-**10**- साईकिल योजना-विस्तृत योजना-**06**- अनुदान-**49**- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-**51S222503796100649** और
- 11.7** मांग संख्या-**51**-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्य शीर्ष-**2225**- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-**03**-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-**277** -शिक्षा-उपशीर्ष-**10**- साईकिल योजना-विस्तृत शीर्ष-**06**-अनुदान-**49**-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-**51S222503277100649**
- 12.** इस निर्णय के लागू होने की तिथि से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा इससे पूर्व निर्गत तत्सम्बंधी नियम, संकल्प एवं अधिसूचना विलोपित समझा जाएगा।
- 13.** विभागीय संलेख ज्ञापांक-**427**, दिनांक-**15.02.2021** के क्रम में दिनांक-**25.02.2021** को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-**06** में इस पर स्वीकृति दी गई है।

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
